

प्र.सं. 9/24, 10/24 मूलचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि, जिसके खाता संख्या 1512 खसरा नंबर 1500 रकबा 1.0800 हैक्टर, खाता संख्या 1513 खसरा नंबर 1493 रकबा 1.0300 हैक्टर, खाता संख्या 1397 खसरा नंबर 1748, 1750, 1752, 1753, 1754 कुल किता 5 रकबा 0.5500 हैक्टर, खाता संख्या 1717 खसरा नंबर 1755 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 1749 रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि ग्राम देवगढ़ में स्थित है। उक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं होने से वादीगण को भूमि रहन रखने, ऋण आदि लेने में असुविधा होती है इसलिए उक्त भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मौके पर हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय ने 20.09.2023 को वादीगण का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 26.09.2023 को अंतिम डिक्री जारी की।</p> <p>उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2023 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.09.2023 से रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 19/2020 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा दोनों ही अपीलों में पक्षकारान एवं विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।</p> <p>अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चुण्डावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।</p> <p>दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलान्त</p>	



प्र.सं. 9/24, 10/24 मूलचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य

को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। करीब एक माह पूर्व अपीलान्ट उदयपुर से देवगढ़ आया तो वादीगण वादग्रस्त भूमियों को जेसीबी से समतल करा रहे थे, तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2023 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.09.2023 के विरुद्ध उक्त अपीलें दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस है। इस प्रकार उक्त दोनों अपीलें करीब 3½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं, जिन्हें न्यायहित में प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि मूल वाद केवल आराजी नंबर 1500 व 1493 बाबत् प्रस्तुत किया गया था, किन्तु प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में अन्य आराजियात भी सम्मिलित कर ली गयी हैं। आदेशिका दिनांक 26.08.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है प्रतिवादी संख्या 2 व 8 की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु मृतक के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2023 तक अर्थात् 2 वर्ष तक मृतक के कायम मुकाम बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 16.08.2023 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह केवल प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन में है तथा उसमें भी प्रतिवादी संख्या 2 के मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं है, न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई कारण बताया किया है, न ही विलम्ब माफ करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में दिनांक 20.09.2023 को करते हुए वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया तथा मात्र 6 दिन बाद अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री अपास्त की जावें तथा प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

प्र.सं. 9/24, 10/24 मूलचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री से किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं है तथा अंतिम डिक्री हिस्से व कब्जे को ध्यान में रखते हुए पारित की गयी है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.08.2021 अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु उनके कायम मुकान का आवेदन 2 वर्ष बाद दिनांक 16.08.2023 को प्रस्तुत किया गया है, वह भी केवल प्रतिवादी संख्या 2 का प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी संख्या 8 के बारे में उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, न ही देरी को कण्डोन करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही एक ही दिनांक 20.09.2023 को करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/1 व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की सहमति मानते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। तत्पश्चात् प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए उसके आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2020 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2023 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.09.2023 अपास्त जाती हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर